

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II —खण्ड 3 —उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 376] No. 376] नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 11, 2005/चैत्र 21, 1927

NEW DELHI, MONDAY, APRIL 11, 2005/CHAITRA 21, 1927

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

(पोत परिवहन विभाग)

(पत्तन स्कंध)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 अप्रैल, 2005

का.आ. 545(अ).—केन्द्रीय सरकार, डॉक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) नियमावली, 1962 के नियम 4 के उप-नियम (2) के साथ पठित डॉक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) अधिनियम, 1948 (1948 का 9) की धारा 5क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शिक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार, पोत परिवहन मंत्रालय की दिनांक 26 अगस्त, 2003 की अधिसूचना सं. का. आ. 1003(अ) के क्रम में श्री संजय जे. ठकरार, मै. अशित शिपिंग सिविसिज प्रा.लि., गांधीधाम को श्री मयंक पारिख के स्थान पर एतद्द्वारा कांडला गोदी श्रमिक बोर्ड के सदस्य के रूप में नियुक्त करती है।

[फा. सं. एलबी-13014/3/2002-यूएस (एल)]

ए. के. भल्ला, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

(Department of Shipping)

(PORTS WING)

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th April, 2005

S.O. 545(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 5A of Dock Workers (Regulation of Employment) Act, 1948 (9 of 1948) read along with sub-rule (2) of Rule 4 of the Dock Workers (Regulation of Employment) Rules, 1962, and in continuation to the Notification of the Govt. of India, Ministry of Shipping No. S.O. 1003(E) dated 26th August, 2003, the Central Government hereby appoints Shri Sanjay J. Thakrar of M/s. Ashit Shipping Services Pvt. Ltd., Gandhidham as a member of Kandla Dock Labour Board in place of Shri Mayank Parikh.

[F. No. LB-13014/3/2002-US(L)]

A. K. BHALLA, Jt. Secy.

1197 GI/2005